

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सहारनपुर, शामली, हापुड़, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, श्रावस्ती, सुलतानपुर एवं अमेठी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2022

विषय: वर्ष 2022-23 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2022-23 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एमओएचओ के पत्र संख्या-33-C3/2020-एनडीओएम-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं०-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय के लिये ₹ 8,15,48,000/- (रुपये आठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालिस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

जनपद का नाम	कम्बल हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1 सहारनपुर	25.00
2 शामली	15.00
3 हापुड़	5.00
4 बुलन्दशहर	15.00
5 आगरा	35.00
6 मथुरा	25.00
7 फिरोजाबाद	25.00
8 अलीगढ़	20.00
9 बरेली	25.00

10	वदायूं	15.00
11	मुगादाबाद	04.00
12	रामपुर	30.00
13	प्रयागराज	05.00
14	फतेहपुर	11.48
15	महोबा	15.00
16	बांदा	25.00
17	चित्रकूट	20.00
18	वाराणसी	15.00
19	जौनपुर	30.00
20	गाजीपुर	05.00
21	वलिया	25.00
22	गोरखपुर	65.00
23	देवरिया	25.00
24	कुशीनगर	25.00
25	सिद्धार्थनगर	25.00
26	संत कबीरनगर	05.00
27	लखनऊ	50.00
28	रायबरेली	30.00
29	सीतापुर	25.00
30	हरदोई	50.00
31	खीरी	75.00
32	श्रावस्ती	20.00
33	सुल्तानपुर	15.00
34	अमेठी	15.00
	योग	815.48

(रूपये आठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालिस हजार मात्र)

- (1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2117/एक-10-2022- 12(34)/2003 टीसी-1, दिनांक 10.11.2022 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) आपूर्ति संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो विक्री के लिए नहीं है।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्वल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।

- (5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हिकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक वच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजदूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये। उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।
- (7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।
- (8) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।
- (9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।
- (12) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
- (13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वितीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (15) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2264(1)/एक-10-2022-12(34)/03 टीसी-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-26/12/2022

प्रेषण संख्या:- 2264

आवंटन आदेश संख्या:- 001-2264

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 5350000	1500000 5350000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4750000	2000000 4750000
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
5	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 6800000	3500000 6800000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5800000	2500000 5800000
7	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 4250000	1500000 4250000
8	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 2600000	400000 2600000
9	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 6300000	3000000 6300000
10	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1148000 2798000	1148000 2798000
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 4900000	500000 4900000
12	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
13	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3150000	1500000 3150000
14	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 6300000	3000000 6300000
15	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 4350000	500000 4350000
16	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5800000	2500000 5800000
17	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 10350000	6500000 10350000
18	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7750000	5000000 7750000
20	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 6300000	3000000 6300000
21	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 6350000	2500000 6350000
22	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7750000	5000000 7750000
23	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 11350000	7500000 11350000
24	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 4250000	1500000 4250000
25	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
26	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
27	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3150000	1500000 3150000
28	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5800000	2500000 5800000
29	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 2150000	500000 2150000
30	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3650000	2000000 3650000
31	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4200000	2000000 4200000
32	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3700000	1500000 3700000
33	हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 2150000	500000 2150000
34	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3150000	1500000 3150000
	योग	वर्तमान प्रगामी	81548000 176698000	81548000 176698000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ छियासठ लाख अठानवे हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन ।